

झारखण्ड सरकार  
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग  
(कृषि प्रभाग)

पत्रांक-3/कृषि बजट आवंटन(गैर यो0)-08/2014 68

राँची/दिनांक- 04/01/2023

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,  
झारखण्ड, राँची।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना व्यय अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, उपशीर्ष-01-प्रमण्डलीय, जिला एवं अनुमण्डलीय स्थापना शीर्षान्तर्गत वेतनादि मद में द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से आगणित कुल राशि रु. 300.00 लाख (तीन करोड़ रुपये) मात्र का आवंटन।

प्रसंग:-

वित्त विभाग का पत्रांक-692 दिनांक-27.12.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के क्रम में विषयगत बजट शीर्षान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना व्यय अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, उपशीर्ष-01-प्रमण्डलीय, जिला एवं अनुमण्डलीय स्थापना शीर्षान्तर्गत वेतनादि मद में द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से आगणित कुल राशि रु. 300.00 लाख (तीन करोड़ रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन निम्नवत् प्रदान किया जाता है :-

| बजटशीर्ष/प्राथमिक इकाई   | आवंटित राशि |
|--|-------------|
| मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म,<br>लघुशीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण,<br>उपशीर्ष-01-प्रमण्डलीय, जिला एवं अनुमण्डलीय स्थापना |             |
| विस्तृतशीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते   |             |
| 01-वेतन (01S24010010901000101)   | 29000000    |
| विस्तृतशीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय   |             |
| 37-विद्युत व्यय (01S24010010901000337)   | 1000000     |
| कुल योग  | 30000000    |

(तीन करोड़ रुपये) मात्र।

- उक्त आवंटित राशि रु. 300.00 लाख (तीन करोड़ रुपये) मात्र की निकासी एवं व्यय घोषित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में वित्त एवं कोषागार नियमावली के सभी सुसंगत नियमों का अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा।
- वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/अनुदेश में निहित सुसंगत प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी की जा सकेगी।

अक्ष

4. आवंटित राशि से अधिक तथा किसी मद की राशि उनसे भिन्न मद में व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। किसी भी प्रकार के अवैध निकासी की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित सभी कोषागार विपत्रों पर विपत्र कोड एवं मुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृतशीर्ष एवं प्राथमिक ईकाई का स्पष्ट उल्लेख एवं मुहर का उपयोग निश्चित रूप से किया जायेगा। लेखा आंकड़ों के वर्गीकरण की त्रुटि की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. आवंटित राशि अंतर्गत किसी कारणवश व्यय नहीं हो सकने वाली राशि वित्तीय वर्षान्त के पूर्व निश्चित रूप से प्रत्यर्पित कर दिया जायगा।
7. उक्त निर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया जाय।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/कृषि बजट आवंटन(गैर यो0)-08/2014

68

राँची/दिनांक- 04/01/2023

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/उपायुक्त/संबंधित कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/कृषि बजट आवंटन(गैर यो0)-08/2014

68

राँची/दिनांक- 04/01/2023

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची को मूल प्रति के अलावा आवंटनादेश की प्रति उनके ई-मेल आईडी0-directoragriculturejh@gmail.com पर भेजी जा रही है तथा विभागीय वेबसाईट www.jharkhand.gov.in पर अपलोड की जा रही है।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/कृषि बजट आवंटन(गैर यो0)-08/2014

68

राँची/दिनांक- 04/01/2023

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/उप कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा-3 को 03 (तीन) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

3/24

4/24

5/24



## आवंटन आदेश

### झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Agriculture Di

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 3/KBANP-08/2014/68

दिनांक - 05-Jan-2023

| क्रमांक | विपत्र कोड  | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.   | आवंटित राशि                                  |
|---------|---|-----------|---|--|
| 1       | S 01 24010010901000101<br>2401 - फसल कृषि-कर्म<br>00 - फसल कृषि-कर्म<br>109 - विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण<br>01 - प्रमंडलीय, जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना<br>00-NA<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>Establishment Expenditure<br><br>State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA | 72840     | RNCACH028<br><br>MUKESH KUMAR SINHA<br><br>DEPUTY DIRECTOR<br>AGRICULTURE(GE<br><br>01 - वेतन         | 29,000,000.00<br><br>रुपये दो करोड नब्बे लाख |
| 2       | S 01 24010010901000337<br>2401 - फसल कृषि-कर्म<br>00 - फसल कृषि-कर्म<br>109 - विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण<br>01 - प्रमंडलीय, जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना<br>00-NA<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>Establishment Expenditure<br><br>State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA | 72842     | RNCACH028<br><br>MUKESH KUMAR SINHA<br><br>DEPUTY DIRECTOR<br>AGRICULTURE(GE<br><br>37 - विद्युत व्यय | 1,000,000.00<br><br>रुपये दस लाख             |

योग: रुपये तीन करोड

30,000,000.00

(NISHA ORAON SINGHMAR)  
DIRECTOR OF AGRICULTURE